

(पृष्ठ संख्या – 02)

15. सीवर मेनहोल सफाई के समय ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का रहना आवश्यक है।
16. मेनहोल सफाई के उपरान्त यह सुनिश्चित करना होगा कि मैनहोल का ढक्कन भली-भांति लगा दिया गया है एवं क्षतिग्रस्त नहीं है। इसके अभाव में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा, विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
17. ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय ठेकेदार को करना आवश्यक होगा।
18. किसी भी दुर्घटना का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा, विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि दुर्घटना की प्रतिपूर्ति हेतु कोई अधिकारी जिला प्रशासन या उच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने पर इसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. विशेष परिस्थितियों में यदि जेटिंग मशीन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तो 10 दिन जेटिंग मशीन देने के बाद ₹० 500.00 प्रतिदिन प्रति जेटिंग मशीन की दर से ठेकेदार के बिल से कटौती की जायेगी।
20. कार्यादेश प्राप्त होने के उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
21. आवश्यकता पड़ने पर यदि रात्रि में मेनहोल सफाई का कार्य कराया जाता है तो इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।
22. कार्य संतोषजनक न होने पर क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में किसी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त किया जा सकता है।
23. नियम एवं शर्तों में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन विभागीय हित में किया जा सकता है।
24. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र वाराणसी ही मान्य होगा।
25. निविदा को जलकल विभाग के साइट www.jalkalvaranasi.org पर भी देखा जा सकता है।

८३

(बी०के० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (उ०)
ज०क०न०नि�०, वाराणसी।

पत्रांक-५३५ / अ०अ०(उ०) / ज०क०न०नि�० / १५-१६

दिनांक- १२-०८-१५